छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार,दिनांक 26 जुलाई, 2024 (श्रावण 4,1946)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्री विजय सिंह, अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिये) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (तकनीकी शिक्षा), छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 66 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का संशोधन अध्यादेश क्रमांक–31 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 01) पटल पर रखेंगे।

(4) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लोक स्वास्थ्य अधोसंरचना एवं स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या–02) पटल पर रखेंगे।

(5) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान 2023–2024 के संदर्भ में तृतीय एवं अंतिम तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री मोतीलाल साहू, सदस्य, प्रदेश में मलेरिया एवं डायरिया बीमारी से लोगों की मौतें होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री विक्रम उसेंडी, सदस्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पखांजूर से मायापुर सड़क जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती शेषराज हरबंश, सदस्य, जिला बेमेतरा के ग्राम पिरदा में संचालित स्पेशल ब्लास्टस लिमिटेड में हुए विस्फोट की जांच नहीं होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, मुंगेली विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत किये गये टंकी निर्माण, पाईप लाईन बिछाने तथा ग्रामों में पूर्व से निर्मित सी.सी. रोड एवं नाली में तोड़फोड़ किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री राजेश मूणत, सदस्य, रायपुर के एक्सप्रेस–वे का संधारण नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश की तहसील एवं संभागीय न्यायालयों में राजस्व के लाखों मामले लंबित होने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री राजेश अग्रवाल, सदस्य, डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर में निम्न वर्गीय परिवारों को एल. एफ. टी. और आर. एफ. टी. टेस्ट की सुविधा नहीं मिल पाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, राजेश अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में ऑनलाईन ठगी की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, भाटापारा विकासखण्ड की भाटापारा से धनेली सड़क मार्ग के किसानों को 4 वर्ष से लंबित मुआवजा प्रकरण के संबंध में उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में हाथी मानव द्वन्द एवं जानमाल की हानि होने के संबंध में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, राजेश अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में औद्योगिक विकास के बाद वायुमंडल में कार्बन डाई–ऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से होने वाले दुष्परिणाम के संबंध में आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(12) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, मुंगेली विधान सभा अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में पुराने ट्रांसफार्मर एवं तार नहीं बदले जाने के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, रायपुर, बिलासपुर मार्ग धनेली में स्थित आटोमैटिक फिटनेस सेंटर में अवैध वसूली किये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री धरमलाल कौशिक, सुश्री लता उसेंडी, श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुदान की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा नहीं किये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) गुरू खुशवंत साहेब, सदस्य, जिला रायपुर के विकासखण्ड आरंग के ग्राम भण्डारपुरी धाम धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, प्रदेश के सभी शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में रीएजेन्ट किट (केमिकल) का अभाव होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही में नवगठित नगर पंचायतों के पद से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को पद से वंचित किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) डॉ. चरणदास महंत, श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, मुख्यमंत्री समग्र विकास एवं क्षमता विकास योजना अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी भुगतान नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, प्रदेश में युवतियों की तस्करी किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(20) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कल्याण परिसर, इंदिरा निकुंज रोपणी, माना, रायपुर में चंदन एवं सागौन की करोड़ों रूपये की लकड़ी चोरी किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, विकासखण्ड खैरागढ़ के मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुदान की राशि हितग्राही के स्थान पर सप्लायर फर्म को भुगतान किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, जांजगीर–चांपा के शासकीय बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस पाईप बिछाने हेतु शासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 4

(24) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में कोयला, राखड़ एवं अन्य सामानों के परिवहन करने वाले वाहनों से सड़क दुर्घटनायें घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, जिला बिलासपुर की तहसील मस्तूरी के ग्राम पाराघाट में स्थित राशि स्टील एण्ड पावर लिमिटेड द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को नीलागर नदी में बहाये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(26) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र की स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य, बस्तर संभाग के अंतर्गत जगदलपुर एवं बीजापुर जिले में फैले घातक मलेरिया के प्रकोप की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(28) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, प्रदेश में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मान्तरण किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(29) श्री कुवंर सिंह निषाद, सदस्य, बालोद जिले के तांदुला नदी पर रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(30) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(31) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में क्षय रोग (टी.बी.) का प्रकोप होने की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(32) श्री रोहित साहू, सदस्य, कबीर संस्थान नयापारा तहसील अभनपुर में एक व्यक्ति को प्रताड़ित कर आत्महत्या हेतु विवश किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(33) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में शासकीय जमीन लीज में देने पर अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(34) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, प्रदेश में चिप्स के अधिकारियों द्वारा जीएसटी एवं पेनाल्टी वसूली के नाम पर करोड़ों रूपयों की अनियमितता किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(35) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में नवीन तालाब निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(36) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सर्वश्री अटल श्रीवास्तव, कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, प्रदेश में खाद्य विभाग द्वारा एपीएल राशन कार्ड को बीपीएल राशन कार्ड में परिवर्तन कर अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 5

(37) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थापित व संचालित बालिका आश्रम छात्रावास में व्याप्त अव्यवस्था की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(38) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, विकासखण्ड जैजैपुर क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(39) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस./एम.डी. के प्रवेश में अनियमितता किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(40) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, सक्ती में संचालित कन्या हायर सेकण्डरी स्कूल में व्याप्त अव्यवस्था की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(41) डॉ. चरण दास महंत, श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, जिला–जशपुर, कुनकुरी में पुलिस थाना परिसर, बैरक एवं स्टॉफ क्वाटर निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का भुगतान नहीं होने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(42) डॉ. चरण दास महंत, श्री संदीप साहू, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के गुढ़ियारी स्थित केन्द्रीय भण्डार में आगजनी से हुये नुकसान की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(43) सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, दिलीप लहरिया, भूपेश बघेल, सदस्य, प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(44) सर्वश्री विक्रम मंडावी, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री दिलीप लहरिया,सदस्य, कबीरधाम जिले के बोडला विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम–सोनवाही में बैगा जनजाति के लोगों की उल्टी दस्त से मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(45) सर्वश्री लखेश्वर बघेल, विक्रम मंडावी, सदस्य, बीजापुर जिले के थाना नड़पल्ली के ग्रामीणों को पुलिस द्वारा फर्जी प्रकरण बनाकर नक्सली घटनाओं में उनकी संलिप्तता दर्ज किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(46) सर्वश्री भूपेश बघेल, देवेन्द्र यादव, सदस्य, प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती नहीं होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(47) श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य, पी.एम. रिपोर्ट एवं पंचनामा के लिये अवैध वसूली होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(48) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन अंतर्गत बिना विभागीय अनुमोदन के क्रय आदेश जारी किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(49) श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य, नजूल भूमि की रजिस्ट्री, डायवर्सन एवं पट्टा निर्माण में होने वाली जन समस्या की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(50) श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य, बिजली बिल अधिक आने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 6

(51) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, छत्तीसगढ़ में पीडीएस राशन दुकान के स्टॉक का सत्यापन एवं संगठनों के पंजीकरण की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(52) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, प्रदेश में पूरक पोषण आहार वितरण में अनियमितता होने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(53) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रेत का अवैध उत्खनन की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(54) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(55) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन के आवेदक के स्वामित्व की भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण कर भुगतान के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(56) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, ग्राम सकरी की भूमि के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(57) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, सिकलसेल संस्थान में दवाई खरीदी में करोड़ों रूपये की अनियमितता किये जाने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(58) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, बिलासपुर जिले के सकरी ग्राम के चकरीभाठा वितरक नहर के निर्माण में कूटरचित डायवर्सन प्रकरण तैयार कर अनियमितता किये जाने के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(59) श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर द्वारा महतारी वंदन योजना की राशि वितरण में अनियमितता किये जाने के संबंध में सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(60) श्री उमेश पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले की केलो सिंचाई परियोजना के अपूर्ण नहर निर्माण एवं भू–अधिग्रहण मुआवजा प्रदाय नहीं किये जाने के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(61) श्री उमेश पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(62) श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम, सदस्य, नगर पंचायत पाली के वार्डों में पेयजल आपूर्ति नहीं होने के संबंध में उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(63) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, पाली तानाखार के ग्राम धौंराभांठा में नहर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(64) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, विकासखण्ड पाली अंतर्गत खारून नदी एनीकट से कुम्हारी जलाशय में जलसंग्रह प्रारंभ नहीं होने से स्थायी किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिलने के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 7

(65) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सड्डू–बरौदा मार्ग का चौड़ीकरण नहीं होने के संबंध में उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(66) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बजट आबंटन राशि में अनियमितता किये जाने के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(67) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य, कांकेर, भानुप्रतापपुर एवं चारामा अनुभाग के नगरीय सीमा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग किये जाने के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(68) श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य, दुर्ग जिले के अंतर्गत किसानों के सहमति के बिना गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा पाईप लाईन बिछाने के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(69) सर्वश्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम, फूलसिंह राठिया, सदस्य, प्रदेश में फर्जी आयुर्वेदिक दवाई निर्माता कंपनियों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर भुगतान किये जाने के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(70) सर्वश्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, जनक ध्रुव, सदस्य, प्रदेश में आयुष संचालनालय द्वारा दवाई खरीदी में अनियमितता किये जाने के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(71) श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक एवं हर्बल उत्पादों को संचालनालय आयुष द्वारा क्रय नहीं किये जाने के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(72) सुश्री लता उसेण्डी, सदस्य, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी बोरियाकला, रायपुर के निकट अवैधानिक रूप से संचालित कांक्रीट मिक्चर प्लांट पर कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(73) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, जिला राजनांदगांव के ग्राम चिरचारीकला में पानी टंकी निर्माण एवं पाईप लाईन विस्तार के बाद भी पानी सप्लाई नहीं किये जाने के संबंध में उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(74) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, जिला कवर्धा ग्राम दुल्लापुर में भू–माफियाओं एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक कृषक को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(75) सर्वश्री जनक ध्रुव, श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, सीतानदी उदंती टाइगर रिजर्व के कोर जोन में जंगल में सागौन पेड़ों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(76) श्री गजेन्द्र यादव, सदस्य, प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 8

(77) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में दवाई एवं उपकरणों की खरीदी में भारी अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(78) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, जल संसाधन विभाग में पदस्थ उप अभियंता को नियम विरूद्ध पदोन्नति किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(79) श्री दीपेश साहू, सदस्य, रीपा योजना से संबंधित निर्माण कार्यों में निर्माण एजेंसियों एवं अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(80) श्री राजेश मूणत, सदस्य, कंपनी अधिनियम अंतर्गत सी. एस. आर. फंड व्यय हेतु स्पष्ट नीति/पॉलिसी बनाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(81) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री राजेश अग्रवाल, सदस्य, नगर पालिका भिलाई अंतर्गत चन्द्रा मौर्या टॉकिज के सामने कब्जा आधार पर आबंटित भूमि की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(82) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री राजेश अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में प्रतिबंधित व नकली दवाईयों की बिक्री किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(83) डॉ. चरणदास महंत, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, कोरबा नगर के विद्युत उत्पादन संयंत्रों से निकलने वाले राखड़ से उत्पन्न समस्यों की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(84) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, कबीरधाम जिले के कुकदुर थाना अंतर्गत बाहपानी के पास बैगा जनजाति के 19 लोगों की पिक–अप वाहन पलटने से मौंते होने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(85) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, प्रदेश में अमानक मल्टीविटामिन एवं फूड सप्लीमेंट विक्रय किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(86) श्री उमेश पटेल, सदस्य, जल संसाधन विभाग में नहर मरम्मत कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(87) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, मत्स्य विभाग के अधिकारी द्वारा वित्तीय अनियमतता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मंगला की माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने,

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, जिला–मुंगेली अंतर्गत –

(i) ग्राम चारभाठा मेन रोड से जोडापुर डी. 2 नहर सड़क निर्माण करने,

(ii) ग्राम जोगीपुर, रोहरा डी. 2 नहर से चमारी तक सड़क निर्माण करने

क्रमशः 9

(3) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंडरिया में मूक–बधिर बच्चों हेतु विशिष्ट शाला खोलने,

(4) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य –

(i) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरी से मार्री पहुंच मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(ii) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भेड़ी उदवहन सिंचाई योजना का विस्तार करने,

(ii) जिला बालोद अंतर्गत तहसील मुख्यालय देवरी में लिंक कोर्ट प्रारंभ करने,

(iv) जिला बालोद अंतर्गत तहसील मुख्यालय अर्जुन्दा को राजस्व अनुभाग बनाये जाने,

(5) श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम, सदस्य, पाली–तानाखार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम पोटापानी से सोनईपुर मार्ग निर्माण करने,

(ii) ग्राम खैराडुबान से दौरीकलारी डुबान मार्ग निर्माण करने,

(iii) ग्राम पोटापानी के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(iv) ग्राम कोरबी में महाविद्यालय खोलने,

(v) ग्राम केरामुड़ा स्थित टेटकाझोरका नाले पर स्टापडेम एवं रिटर्निंग वाल निर्माण करने,

(vi) ग्राम अलगीडांड से डुमरकछार मार्ग में फेचाकी तेंदु नाले पर पुल निर्माण करने,

(vii) ग्राम करतली–रमतला लाटापारा–गोकनई मार्ग निर्माण करने,

(viii) ग्राम लहरापारा–कुम्हीपानी कटेलीपारा–बिजराभौना मार्ग एवं खारून नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण करने,

(6) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम बलदेवपुर–कलकसा–खुर्सीपार चौक तक पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(ii) मुख्य मार्ग (खैरागढ़/डोंगरगढ़) से कातलवाही तक सड़क निर्माण करने,

(iii) ग्राम गातापार से ब. नवागांव तक सड़क निर्माण करने,

(iv) ग्राम प्रकाशपुर से सलगापाठ के मध्य पुल निर्माण करने,

(v) नगरपालिका डोंगरगढ़ में वार्ड क्रमांक 2 एवं वार्ड क्रमांक 16 के मध्य पुल निर्माण करने,

(vi) ग्राम खोलारघाट के पास चोड़–चोड़ा नाले पर स्टापडेम निर्माण करने,

(7) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, जिला–बस्तर अंतर्गत –

(i) विकासखण्ड बकावण्ड के शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारंभ करने,

(ii) ग्राम जैतगिरी में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम दुबेउमरगांव से बनियागांव तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

क्रमशः .... 10 .

(8) श्रीमती रायमुनी भगत, सदस्य, जशपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम सरबकोम्बों के आश्रित ग्राम बांसधार से दीनामुण्डा तक सड़क एवं बेंदो नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(ii) ग्राम सरबकोम्बों के आश्रित ग्राम दीनामुण्डा से कुड़ाटेपना–सिहारडांड तक सड़क एवं डुड़की नदी पर पुल निर्माण करने,

(9) श्री विक्रम उसेंडी, सदस्य, अंतागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंखाजूर से मायापुर तक सड़क निर्माण करने,

(10) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम मुसराकला में महाविद्यालय खोलने,

(ii) सीतागोंटा से कन्हारटोला मार्ग पर पुल निर्माण करने,

(iii) कनेरी से टाटेकसा के मध्य पुल निर्माण करने,

(11) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, धरसींवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम बरौदा में सब्जी बाजार में शेड निर्माण करने,

(ii) ग्राम बरौदा से मांढर कालोनी तक स्ट्रीट लाईट लगाने,

(12) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य –

(i) अकलतरा विकासखण्ड अंतर्गत बरगवां के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(ii) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पहरिया में महाविद्यालय खोलने,

(iii) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अकलतरा में बायपास सड़क निर्माण करने,

(iv) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत परसाही उद्वहन परियोजना की स्वीकृति प्रदान करने,

(13) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पण्डरापानीटोला में प्राथमिक शाला भवन का निर्माण करने,

(14) श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य, डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड मुख्यालय डौण्डी में अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास खोलने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

6. प्रस्ताव

निर्धारित समय
30 मिनट

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित, प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :–

''यह सदन जनप्रिय व यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेन्द्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता है।

श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अत्यधिक ऊँचाईयाँ प्राप्त की है, उनके कुशल नेतृत्व में हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान बना पाएगा। उन्हीं के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगा।''

क्रमशः 11

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 45 मिनट

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2024 (क्रमांक 8 सन् 2024) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

8. अशासकीय संकल्प

30 मिनट (1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''अंबिकापुर को वृहत्तर रेल्वे नेटवर्क अंबिकापुर–रेणुकूट से जोड़ा जाय।''

30 मिनट (2) श्री राजेश मूणत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''छत्तीसगढ़ राज्य में नगर पालिक निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं अन्य सभी प्रकार के निर्वाचन एक साथ कराये जायें।''

30 मिनट (3) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''जिला–मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम कंतेली में शासकीय महाविद्यालय खोला जाये।''

30 मिनट (4) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''प्रदेश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय/गैर–आवासीय भवनों में रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग (आर.डब्ल्यू.एच.) का निर्माण अनिवार्य किया जाये।''

30 मिनट (5) श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगी :–

सदन का यह मत है कि ''प्रदेश में संचालित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना की जाये।''

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 25 जुलाई, 2024